C-NO98-A

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2005/टेली./आरसीआईएल/1पार्टIII — नई दिल्ली, दिनांक 25.10.2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
गुरूग्राम, हरियाणा

<u>दूरसंचार परिपत्र सं. 05/2017</u>

विषय: एसटीएम-4 बैंडविथ दरें निर्धारित करना - जीएसटी लागू करना - उनमें संशोधन करना

संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 30/01/2008 का समसंख्यक पत्र (दूरसंचार परिपत्र सं. आरबी टेली 02/08)
ii) बोर्ड का दिनांक 07/06/2017 का समसंख्यक पत्र (दूरसंचार परिपत्र सं. 03/2017)
iii) रेलटेल का दिनांक 15/02/2007 और 08/10/2007 का पत्र सं. आरसीआईएल/2006/एम एण्ड पी/रेलवे
iv) रेलटेल का दिनांक 15/06/2017 का पत्र सं. आरसीआईएल/2016/एनटीपी/सीओ/रेलवे पेमेंट/326

रेलवे बोर्ड ने अपने उपर्युक्त संदर्भाधीन (i) पत्र के तहत अन्य बातों के साथ-साथ रेलटेल को एसटीएम-4 बैंडविथ के लिए 7219/- रुपए प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से पट्टा प्रभार का भुगतान करने के अनुमोदन से अवगत कराया था। इन दरों में सेवा कर शामिल थे।

2. रेलटेल का उपर्युक्त संदर्भाधीन (iv) के तहत पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

i) रेलटेल को एसटीएम-4 बैंडविथ के लिए देय पट्टा प्रभार 6432/- रुपए (छः हजार चार सौ बत्तीस रुपए केवल) प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष + सांविधिक कर (यथा लागू) होगा।
(ii) रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन (ii) के तहत जारी पत्र के अनुसार, एसटीएम-4 बैंडविथ प्रभार का भुगतान करने की प्रक्रिया लागू रहेगी।
(iii) 6432 रुपए + सांविधिक करों की प्रस्तावित दरें वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18 से लागू होंगी।
(iv) बहरहाल, वित्त वर्ष 2017-18 से पूर्व के सभी बीजक सेवाकर सहित 7219/- रुपए की दर से बनते रहेंगे, जैसाकि बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन (i) पत्र के तहत पहले ही अनुमोदित किया गया है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

(हरीश पवारिया)
निदेशक/दूरसंचार
ई-मेल: dtele@rb.railnet.gov.in
फोन नं. 011-23388504

सं. 2005/टेली/आरसीआईएल/1पार्टIII — नई दिल्ली, दिनांक 25.10.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:
i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें.
ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:
(i) वित्त (व्यय) II और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
(ii) मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें
(iii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

TELE- S